विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन निम्नलिखित अध्यायों के साथ दो भागों में है:

भाग-I: वित्त एवं राजस्व विभाग

अध्याय-I : सामान्य

अध्याय-II :
- 'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा।
- वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण।

भाग-II: आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय-III : आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप।

अध्याय-IV :
- पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा।
- विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण।

भाग-I वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सम्मिलित वित्तीय प्रभाव ₹ 26.90 करोड़ एवं भाग-II आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सम्मिलित वित्तीय प्रभाव ₹ 95.42 करोड़ है।

भाग-I: वित्त एवं राजस्व विभाग

अध्याय-I: सामान्य

वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 4,17,241.50 करोड़ थीं जिसमें से राज्य सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,87,576.61 करोड़ (44.96 प्रतिशत) थीं। भारत सरकार द्वारा ₹ 2,29,664.89 करोड़ (55.04 प्रतिशत) का योगदान किया गया जिसमें से विभाज्य संघीय करों और शुल्कों का राज्यांश ₹ 1,69,745.30 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 40.68 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान ₹ 59,919.59 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 14.36 प्रतिशत) सम्मिलित था। राज्य के अपने राजस्व में विगत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2022-23 की अवधि में ₹ 28,772.90 करोड़ की वृद्धि हुई।

वर्ष 2022-23 की अवधि में राजस्व के विभिन्न लेखाशीर्ष (तालिका 1.2 एवं 1.3 देखें) के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों

एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता इंगित करती है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

31 मार्च 2023 को बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, स्टाम्प एवं निबन्धन शुल्क एवं वाहनों पर कर से सम्बन्धित बकाया राजस्व की धनराशि ₹ 36,241.90 करोड़ थी जिसमें से ₹ 15,293.15 करोड़ की धनराशि पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। बारम्बार अनुस्मारक निर्गत करने के पश्चात भी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा बकाया राजस्व के आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

(प्रस्तर 1.3)

अध्याय-II: वित्त एवं राजस्व विभागों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

'उत्तर प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली (आईएफएमएस) के कार्यान्वयन पर आईटी लेखापरीक्षा' पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रमुख लेखापरीक्षा प्रेक्षण एवं संस्तुतियाँ निम्नवत् हैं:

सामान्य नियन्त्रण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण:

- वर्ष 2014-15 से प्रमुख शासकीय संरचना, आईटी संचालन समिति गठित नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.1.8.1)

- आईएफएमएस के कार्यान्वयन (2014-15) के उपरान्त 10 से अधिक वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी, औपचारिक और प्रलेखित आईटी नीति तैयार नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.1.8.2)

- स्पष्ट रूप से परिभाषित पुर्नप्राप्ति प्वाइंट ऑब्जेक्टिव एवं पुर्नप्राप्ति टाइम ऑब्जेक्टिव सहित कोई औपचारिक, प्रलेखित कार्य निरन्तरता एवं आपदा पुर्नप्राप्ति योजना नहीं थी। डाटा सेंटर एवं डाटा बैकअप सेंटर एक ही भूकम्पीय क्षेत्र, लखनऊ में स्थापित किए गए थे तदन्तर, डाटा पुर्नप्राप्ति सेंटर एक पृथक भूकम्पीय क्षेत्र में स्थापित (जुलाई 2023) किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.8.3)

- परियोजना के निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण ₹ 20.06 करोड़ की केन्द्रीय सहायता की द्वितीय एवं तृतीय किश्त निर्गत नहीं (दिसम्बर 2024 तक) की गई थी।

(प्रस्तर 2.1.8.4)

- अगस्त 2014 से मार्च 2016 एवं अगस्त 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि में आईएफएमएस प्रणाली बिना किसी औपचारिक वार्षिक तकनीकी

सहायता के संचालित रही जिसमें प्रतिकूल घटनाओं का खतरा था, जिसे टाला जा सकता था।

(प्रस्तर 2.1.8.5)

- उत्तर प्रदेश में आईएफएमएस को, भुगतान किये जाने वाले लाभार्थियों की आधार संख्याओं की प्रविष्टि/सीडिंग किये जाने की कार्यप्रणाली के बिना विकसित किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.8.7)

- उपयोगकर्ता अभिगम प्रबन्धन में अनेक कमियाँ पायी गई जैसे- बहु-कारक प्रमाणीकरण का अभाव, स्थानान्तरित अथवा सेवानिवृत्त उपयोगकर्ताओं की आईडी को निष्क्रिय न किया जाना, विभिन्न प्रणालियों पर समान उपयोगकर्ता लाग-इन क्रेडेंशियल वाले कई सत्रों का संचालन।

(प्रस्तर 2.1.8.9)

सामान्य नियंत्रण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा संस्तुतियाँः

- ***अक्टूबर 2024 में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा आईएफएमएस के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने, अकार्यान्वित कार्यप्रणालियों के लिए समयसीमा नियत करने, संभावित जोखिमों का आकलन करने एवं उपयुक्त शमन उपायों की संस्तुति करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।***
- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि कर्मियों की आवश्यकताओं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं सेवाओं का क्रय, कार्य निरन्तरता एवं आपदा प्रबन्धन तथा उपयोगकर्ता अभिगम प्रबन्धन के लिए प्रमुख आईटी नीतियाँ बनायी एवं अपनायी जाएं।***
- ***कोषागार निदेशालय, आईटी सामान्य नियंत्रणों में कमियों को दूर करे- जिसमें आधार की सीडिंग की प्रमुख सुविधा का अभाव है एवं ऐसी कमियों से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए।***

एप्लीकेशन नियन्त्रणों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण:

- बजट, आईएफएमएस के माध्यम से तैयार किये जाने के स्थान पर मैनुअल रूप से तैयार किया जा रहा था। 2022-23 में, राज्य विधानमण्डल द्वारा लेखानुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें निर्दिष्ट बजट लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बजट आवंटन किया जाना था। परन्तु, जब मुख्य बजट की स्वीकृति प्रदान की गयी तब लेखानुदान में पूर्व निर्दिष्ट कुछ बजट शीर्षों के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन बजट शीर्षों के अन्तर्गत बजटीय प्रावधान एवं आवंटन के बिना

₹ 219.57 करोड़ का व्यय किया गया था। आईएफएमएस में प्रावधानित बजट के समर्पण हेतु कार्यप्रणाली लागू नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 2.1.9.1)

- नई सेवाओं हेतु पुनर्विनियोजन की अनुमति नहीं है, परन्तु, नई सेवाओं पर पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि ₹ 5,120.88 करोड़ के व्यय के प्रकरण पाए गए।

(प्रस्तर 2.1.9.2)

- संसाधन सम्बद्ध योजनाओं से अन्य योजनाओं के 151 प्रकरणों में अनियमित पुनर्विनियोजन किया गया था जिसमें ₹ 10,186.62 करोड़ की राशि सन्निहित थी।

(प्रस्तर 2.1.9.3)

- 2020-23 की अवधि में, विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट वितरण के लिए प्रणाली में प्रदर्शित वित्तीय स्वीकृति[1] की राशि, कुल बजटीय प्रावधानों से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि 2018-24 की अवधि में विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत आवंटन, बजट वितरण के लिए सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति में निर्दिष्ट धनराशि से अधिक था।

(प्रस्तर 2.1.9.4)

- आईएफएमएस में प्रत्येक बिल को वैध अन्तर्निहित स्वीकृति आदेश के साथ अनिवार्य रूप से संयोजन की कोई कार्यप्रणाली नहीं थी।

(प्रस्तर 2.1.9.5)

- विभिन्न मुख्य लेखाशीर्षों (मानक मद स्तर तक) में व्यय, सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत किए गए आवंटन से अधिक था।

(प्रस्तर 2.1.9.6)

- एक नया भुगतान लाभार्थी सृजित करते समय, आईएफएमएस में पैन और जीएसटीआईएन (जहाँ लागू हो), अंकित करने की कोई कार्यप्रणाली नहीं थी। लेखापरीक्षा में अग्रेतर पाया गया कि निर्माण कार्यों के लिए जीएसटी की दर को 18 जुलाई 2022 से 12 से 18 प्रतिशत पुनरीक्षित किये जाने के पश्चात् भी, जीएसटी दर में परिवर्तन करने के लिए आईएफएमएस में कार्यप्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप बिलों को गलत दरों के साथ संसाधित किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.9.8 (iii))

---

[1] 'वित्तीय स्वीकृति' शब्द प्रशासनिक विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष को बजट के प्रेषण की प्रक्रिया को दर्शाता है।

- बकाया सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिक बिलों को समायोजित करने के लिए आईएफएमएस में कार्यप्रणाली का अभाव था।

(प्रस्तर 2.1.9.8 (iv))

- लेखापरीक्षा में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना व्यय से सम्बन्धित आईएफएमएस आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि (i) 694 प्रकरणों (2022-23) एवं 393 प्रकरणों (2023-24) में व्यय, बजट आवंटन के आँकड़े से अधिक था एवं (ii) 67,302 प्रकरणों (2022-23 में 30,814 प्रकरण एवं 2023-24 में 36,488 प्रकरण) में, केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत व्यय उपशीर्ष 01, 02 एवं 89 के अतिरिक्त अन्य उप-शीर्षों में अंकित किये गये थे जिससे गलत वर्गीकरण का संकेत मिलता है।

(प्रस्तर 2.1.9.11)

- राजस्व एवं पूँजीगत खण्डों के अन्तर्गत व्यय के गलत वर्गीकरण को रोकने हेतु आईएफएमएस में एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव था। 9,134 प्रकरणों (₹ 751.88 करोड़ के व्यय सहित) में राजस्व व्यय की प्रविष्टि हेतु पूँजीगत खण्ड के मानक मदों का अनियमित उपयोग किया गया था एवं 172 प्रकरणों (₹ 99.54 करोड़ के व्यय सहित) में पूँजीगत व्यय की प्रविष्टि हेतु राजस्व खण्ड के मानक मदों का अनियमित उपयोग किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.9.12)

- भुगतान लाभार्थी प्रबन्धन में एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव है। 'खाता बंद कर दिया गया/खाता मौजूद नहीं है/ऐसा कोई खाता प्रकार नहीं/गलत खाता/अमान्य खाता संख्या' आदि जैसी टिप्पणियों के साथ भुगतान विफल होने के उद्धरण पाये गए। अग्रेतर, इस प्रणाली में भुगतान लाभार्थी के सृजन में विशिष्टता का अभाव है एवं यह विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारी के साथ एक ही खाता संख्या से कई लाभार्थी आईडी बनाने की अनुमति देता है।

(प्रस्तर 2.1.9.14)

- कर्मचारी मास्टर डेटाबेस में आँकड़ों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव है। पायी गयी कमियों में मूल वेतन शून्य था, मकान किराया भत्ते को शहर के स्तर और श्रेणी के अनुसार मैप नहीं किया गया था, 'दिव्यांग' श्रेणी, नामिती ब्यौरे, आश्रित सदस्यों, इत्यादि को प्रणाली में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 2.1.9.16)

- सरकारी चिकित्सकों को गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ते के अधिक भुगतान को रोकने के लिए वैलीडेशन नियन्त्रण का अभाव था।

(प्रस्तर 2.1.9.17)

एप्लीकेशन नियंत्रण से सम्बन्धित लेखापरीक्षा संस्तुतियाँः

- ***बजट तैयार करने, माँग, पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के लिए पर्याप्त कार्यप्रणाली विकसित किया जाना चाहिए। बजट नियन्त्रण, आईएफएमएस के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।***
- ***व्यय के बिलों का वैध स्वीकृति आदेश के साथ अनिवार्य रूप से संयोजन हेतु आवश्यक कार्यप्रणाली एवं एप्लीकेशन नियन्त्रण विकसित किया जाना चाहिए। विद्यमान आईएफएमएस प्रणाली में लेखाशीर्षों के सम्पूर्ण वर्गीकरण की सम्यक मैपिंग अनिवार्यतः अपनायी जानी चाहिए।***
- ***निधियों के पुनर्विनियोजन, डीसी बिलों के साथ एसी बिलों का समयित संयोजन, सहायता अनुदान एवं कर्मचारियों को देय मूल वेतन एवं भत्तों के वेलिडेशन से सम्बन्धित नियमों की मैपिंग की जानी चाहिए।***
- ***आईटी प्रणाली में, पूँजीगत एवं राजस्व प्रकृति के मदों का वर्गीकरण परिभाषित एवं मैप किया जाना चाहिए।***
- ***लाभार्थी सृजन में उचित अन्तर्निहित इनपुट वेलिडेशन नियन्त्रण क्रियान्वित किया जाना चाहिए एवं बिल प्रारूप वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।***
- ***आईएफएमएस प्रणाली में, विभिन्न परिभाषित मानदण्डों के अनुसार कर्मचारियों को देय परिलब्धियों (यथा वेतन, मकान किराया भत्ता, एनपीए, बोनस, आदि) के सम्बन्ध में कार्यकारी नियमों की पर्याप्त मैपिंग की जानी चाहिए।***

अन्य मुद्दों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण:

- लेखापरीक्षा में एमआईएस प्रतिवेदनों (कोषवाणी) एवं आईएफएमएस डाटाबेस के अनुसार राशियों (बजट प्रावधान, स्वीकृति, आवंटन एवं व्यय) में अन्तर पाया गया।

(प्रस्तर 2.1.10.1)

- कोषागार स्तर पर लेखा शीर्ष के वर्गीकरण के संशोधन को रोकने के लिए एप्लीकेशन नियन्त्रण का अभाव था। ऐसे 1,52,116 प्रकरण संज्ञान में आए जहाँ सीटीएस पोर्टल पर लेखा शीर्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी पोर्टल में प्रदर्शित होने वाले लेखा शीर्ष से भिन्न था।

(प्रस्तर 2.1.10.3)

अन्य मुद्दों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा संस्तुतियाँः

- ***आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए, हितधारकों हेतु प्रामाणिक विवरण सृजित करने के लिए आईएफएमएस पोर्टल को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।***
- ***कोषागार स्तर पर लेखाशीर्षों के वर्गीकरण के संशोधन को रोकने के लिए पर्याप्त कार्यप्रणाली विकसित किया जाना चाहिए।***

लेखापरीक्षा प्रस्तर

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग

निबन्धन हेतु प्रस्तुत लेखपत्रों में भूमि के पूर्ण/सही विवरण की घोषणा नहीं की गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.83 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 2.2)

परिवहन विभाग

2,010 परिवहन वाहनों एवं 1,537 गैर-परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण नहीं किया गया जिन पर ₹ 37.18 लाख का फिटनेस शुल्क आरोपणीय था। सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा इन वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत करने एवं परिवहन वाहनों के प्रकरण में परमिट निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.3)

वाहनों के परमिट की वैधता की समाप्ति पर सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इन वाहन स्वामियों ने अपना पंजीकरण प्रमाण-पत्र भी अभ्यर्पित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 96.38 लाख का परमिट शुल्क एवं आवेदन शुल्क छूट गया।

(प्रस्तर 2.4)

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्रों के बाहर संचालित 84 जेएनएनयूआरएम बसों पर ₹ 1.38 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.5)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर 6,907 प्रकरण में अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.6)

राज्य आबकारी विभाग

आठ आसवनियों/यवासवनियों द्वारा आबकारी राजस्व की विलम्बित जमा धनराशि पर ₹ 2.00 करोड़ का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.7)

भाग-II: आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त)

अध्याय-III: आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के चौदह विभाग एवं तेरह संस्थाएं आते हैं। वर्ष

2022-23 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के चौदह विभागों के अन्तर्गत कुल 658 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 133 इकाईयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गयी। प्रतिवेदन के इस भाग में पर्यटन विभाग से सम्बन्धित पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा एवं लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित एक अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान, दो विभागों के 21 प्रकरणों में ₹ 27.68 करोड़ की वसूलियाँ इंगित की गई थी, जिनमें से 13 प्रकरणों में ₹ 21.01 करोड़ की वसूलियाँ स्वीकार की गई थी। एक प्रकरण में ₹ 0.75 करोड़ की वसूली की गई थी।

अध्याय-IV: विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

पर्यटन निदेशालय, उ.प्र. सरकार (निदेशालय) ने वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत 12 परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ₹ 392.40 करोड़ का व्यय किया। इसके अतिरिक्त, निदेशालय ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान राज्य बजट से स्वीकृत चार योजनाओं के अंतर्गत 970 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया और ₹ 774.26 करोड़ का व्यय किया। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न संलग्न कार्यदायी संस्थायों के माध्यम से किया गया था।

उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत निष्पादित कार्यों में पर्यटक सुविधा/सूचना केंद्रों का निर्माण, पार्किंग, शौचालय, पेयजल सुविधा, परिक्रमा हेतु कवर्ड शेड, सीसीटीवी, सोलर एवं प्रकाश व्यवस्था, साइनेज, फूड प्लाज़ा, साउण्ड एवं लाइट शो तथा डिजिटल गैलरी, आदि सम्मिलित थे। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम निम्नलिखित हैं:

- निदेशालय ने 82 नमूना परियोजनाओं में ₹ 397.50 करोड़ मूल्य की परिसम्पत्तियों/सुविधाओं को परियोजनाओं की पहचान से पूर्व सर्वेक्षण तथा अवसंरचना अंतराल का विश्लेषण किए बिना ही प्रस्तावित कर दिया।

(प्रस्तर 4.1.8.1)

- योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन मे केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत ₹ 44.53 लाख के कर को सम्मिलित करने, सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए उ.प्र. सरकार के स्वीकृति आदेशों के उल्लंघन मे बॉट आउट आइटम पर ₹ 29.73 लाख का सेंटेज जोड़ने तथा लागू अधिनियमों के अनुपालन में श्रम उपकर हेतु ₹ 7.73 लाख तथा सेंटेज एवं श्रम उपकर पर वस्तु एवं सेवा कर ₹ 1.15 करोड़ का प्रावधान न करने के कारण परियोजनाओं की डीपीआर/प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण तरीके से तैयार किए गए।

(प्रस्तर 4.1.8.4)

- रामायण सर्किट थीम के अन्तर्गत चित्रकूट के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्तुत क्लोजर रिपोर्ट (दिसम्बर 2021) के अनुसार, कार्यदायी संस्था (यूपीआरएनएन) ने प्रावधानित दर पर कंटिनजेंसी के लिए ₹ 98.77 लाख प्रभारित किये, यद्यपि उसने कोई कंटिनजेंसी व्यय नहीं किया था।

(प्रस्तर 4.1.9.1)

- केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत निदेशालय द्वारा निष्पादित सभी 12 परियोजनाएँ छः माह से 44 माह तक के विलम्ब के साथ पूर्ण की गयी थीं/प्रगति पर थीं (मई 2024 तक)। राज्य योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित 77 नमूना परियोजनाओं में से 46 पूर्ण परियोजनाएँ एक माह से 22 माह की अवधि तक विलम्बित थी।

(प्रस्तर 4.1.9.3)

- केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के दिशानिर्देशों के उल्लंघन में दो परियोजनाओं, यथा गोवर्धन, मथुरा का विकास तथा बौद्ध थीमैटिक सर्किट के अंतर्गत श्रावस्ती, कुशीनगर एवं कपिलवस्तु का विकास, में योजना में निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाली भूमि/संपत्ति पर परिसम्पत्तियों के निर्माण पर ₹ 4.95 करोड़ का व्यय किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.9.4)

- स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत दो पूर्ण परियोजनाओं के प्रकरण में, एक परिसम्पत्ति (₹ 4.14 करोड़) को 23 माह के विलम्ब के बाद परिचालन में लाया गया, तथा ₹ 59.53 करोड़ की अन्य परिसम्पत्तियाँ संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि तक, अपनी-अपनी पूर्णता तिथियों से 13 माह से 44 माह के विलम्ब के बावजूद संचालन में नहीं लायी गयी थीं।

(प्रस्तर 4.1.10.2)

- निदेशालय द्वारा केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अंतर्गत चार परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार को प्रस्तुत क्लोज़र रिपोर्ट में ₹ 6.68 करोड़ का व्यय अनियमित रूप से प्रभारित किया गया, जबकि

योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी तथा संचालन एवं रखरखाव की लागत उ.प्र. सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

(प्रस्तर 4.1.9.1 एवं 4.1.10.4)

- निदेशालय द्वारा उ.प्र. सरकार की राज्य योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि उसके द्वारा विभिन्न पर्यटन विकास स्थलों पर सृजित परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में न तो परिसम्पत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया गया और न ही ऐसे विवरण विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किये गये थे।

(प्रस्तर 4.1.10.6)

लेखापरीक्षा की संस्तुतियाँ:

- ***निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं का नियोजन, सर्वेक्षण और अवसंरचना में कमी का विश्लेषण तथा दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना प्राप्त करने के पश्चात् किया जाना चाहिए। अग्रेतर, निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लागू अधिनियमों/सरकारी आदेशों/योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप डीपीआर/प्राक्कलन तैयार किए जाएं।***
- ***निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियों का उपयोग, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार हो। अग्रेतर, निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सही उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार/ उ.प्र. सरकार को प्रस्तुत किया जाए।***
- ***निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेंट हेतु वर्तमान दिशानिर्देशों/शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।***
- ***उ.प्र. सरकार को स्वीकृति आदेश में परियोजना के पूर्ण होने की समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए। अग्रेतर, निदेशालय को परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए।***
- ***निदेशालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं को पूर्ण होने के तुरंत बाद संचालन में लाया जाए।***

लेखापरीक्षा प्रस्तर

लोक निर्माण विभाग द्वारा चंदौली जिले में मार्ग के क्रस्ट ओवरले के डिजाइनिंग हेतु मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल्स (एमएसए) के रूप में डिजाइन ट्रैफिक की गणना में त्रुटिपूर्ण प्रारंभिक यातायात को आधार बनाए जाने के कारण ₹ 1.44 करोड़ का परिहार्य व्यय किया गया।

(प्रस्तर 4.2)